भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3527
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव

†3527. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान कितने विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए गए हैं;
(ख) संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं युवा नेतृत्व को मजबूत करने की अपनी घोषित प्रतिबद्धता के मद्देनजर छात्र संघ के चुनावों को लंबे समय तक टालने का औचित्य क्या है; और
(ग) लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार छात्र संघों के नियमित, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव को संस्थागत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और ये अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाई गई संविधियों व अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। लिंगदोह समिति की सिफारिशों को लागू करने का दायित्व संबंधित विश्वविद्यालयों का है, छात्र संघ चुनावों से संबंधित आँकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

*****